

# PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

सोमवार

दिनांक :- 25.09.2017

## फायरिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार:-

दिनांक 06.02.2017 को परिवादी श्री विकास उर्फ भारत पुत्र श्री कन्हैयालाल निवासी खेडली कलां थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर अपने दोस्ते से मिलने रिको ऐरिया खेरदा जा रहा था तभी रामकेश उर्फ टुप्पी पुत्र श्री रामकल्याण जाति मीणा निवासी नीदडदा थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर ने प्रार्थी को रोककर मारपीट करते हुये परिवादी के उपर पिस्टल से फायर कर मौके से फरार हो गया था जिससे आज दिनांक 25.09.2017 को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार एवं थानाधिकारी उदयभान के मार्ग दर्शन में गठित टीम श्री मुकेश कुमार उ0नि0(प्रो0), श्री पप्पू लाल स0उ0नि0, श्री अरविन्द एच.सी. न0 308, श्री रामभजन कानि0 न0 291 व श्री लखन लाल कानि0 न0 429 द्वारा सांगानेर जयपुर से दस्तयाब कर बाद अनुसंधान मुकदमा हाजा में गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है।

## ईमानदारी का परिचय दिया:-

आज दिनांक 25.09.17 को श्रीराम शर्मा निवासी हरसहाय जी का कटला शहर ने उपस्थित कार्यालय नियंत्रण कक्ष होकर बताया की सुबह ड्यूटी जाते समय मेरे को रणथम्भोर रोड पर रिद्धि-सिद्धि रेस्टोरेन्ट के सामने रोड पर एक पर्स मिला। जिसमें 1300 रूपये नगद, इलाहाबाद बैंक का ए0टी0एम0 एवं 2 सिम मिली। जिसने बाद ड्युटी के उपस्थित कार्यालय नियंत्रण कक्ष होकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। उक्त पर्स को थाना मानटाउन थाने पर सुपुर्द किया गया, उक्त व्यक्ति का पता चलने पर सुपुर्द किया जावेगा।

## शांति भंग करने के 09 आरोपी गिरफ्तार :-

सरोज कुमारी उ0नि0 थाना मानटाउन ने श्रीमति सरिता पत्नि दिनेश पुत्री मथुरालाल जाति नट बंजारा उम्र 28 साल नि0 लोदीपुरा थाना मानटाउन स0मा0 हाल गलता गेट जयपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार रामसहाय स0उ0नि0 थाना सूरवाल ने 1. हनुमान पुत्र श्री लट्टू जाति मीणा उम्र 50 साल, 2. खेमराज पुत्र श्री लट्टूलाल उम्र 20 साल, 3. भरतलाल पुत्र श्री धूलीलाल जाति मीणा उम्र 40 निवासी नीदडदा थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार धर्मेन्द्र हैड कानि0 थाना रवॉजना डुगर ने 1 मनराज पुत्र लड्डूलाल जाति गुजर उम्र 20 साल निवासी किशनपुरा थाना रवानजना डूँगर 2 धनराज पुत्र मांगीलाल जाति गुजर उम्र 30 साल निवासी किशनपुरा थाना रवानजना डूँगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार भरत लाल हैड कानि0 थाना चौथ का बरवाडा ने 1. अवतार सिंह पुत्र श्री भेरूलाल उम्र 40 साल जाति गुर्जर निवासी बिंजारी थाना चौथ का बरवाडा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार मान सिंह स0उ0नि0 थाना वजीरपुर ने 1 श्री ओमप्रकाश जाटव पुत्र श्री जगन जाति जाटव उम्र 40साल निवासी खण्डीप थाना बजीरपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार कस्तुर वर्मा थानाधिकारी थाना वजीरपुर ने 1 कालू पुत्र प्रभूलाल जाति रैगर उम्र 25 साल निवासी थाना रवांजना झूगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

### जुआ खेलते 04 आरोपी गिरफ्तार:-

अब्दुल खालिक स0उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने जमील पुत्र लईक अहमद उम्र 35 साल निवासी अन्सारी मो शहर स0मा0 2. तनवीर पुत्र ऐजाज मो0 उम्र 34 साल निवासी अन्सारी मो0 शहर स0मा0 को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान अन्सारी मौहल्ला शहर में जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तें व 1500 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 543/17 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार राजबबर हैड कानि0 थाना खण्डार ने 1.रायसिंह पुत्र मेमसिंह जाति लुहार उम्र 28 साल निवासी रामेश्वर मोड खण्डार 2. महेन्द्र पुत्र रामकरण जाति माली उम्र 24 साल निवासी खण्डार थाना खण्डार जिला स0मा0 को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तें व 1520 रूपयें के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 180/17 दर्ज किया गया।

### सट्टे की खाईवाली करते हुये 04 आरोपी गिरफ्तार :-

अब्दुल खालिक स0उ0नि0 थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने श्री फारूख पुत्र नूर मो0 मुस0 अन्सारी उम्र 44 साल निवासी अन्सारी मो0 शहर स0मा0 को कागजी मौहल्ला शहर से जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा पर्ची ,बॉलपेन मय एक मोवाईल के व 1100 रूपयें नकद के साथ सट्टे की खाईवाली करते हुये गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 542/17 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार कप्तान सिंह हैड कानि0 थाना वजीरपुर सवाई माधोपुर ने श्री हेमेन्द्र जाटव पुत्र श्री धूपसिंह जाति जाटव उम्र 33साल निवासी रायपुर थाना बजीरपुर को बस स्टैण्ड रायपुर से जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा पर्ची ,बॉलपेन मय एक मोवाईल के व 1070 रूपयें नकद के साथ सट्टे की खाईवाली करते हुये गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 180/17 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार रायसिंह स0उ0नि0 थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने राजू मीना पुत्र भरोसीलाल मीना जाति मीना उम्र 34 साल निवासी चौकीदार मोहल्ला कैलाश टाकीज के पास गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को सार्वजनिक स्थान दशहरा मैदान से जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा पर्ची ,बॉलपेन मय एक मोवाईल के व 710 रूपयें नकद के साथ सट्टे की खाईवाली करते हुये गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 641/17 दर्ज किया गया।

इसी प्रकार नरेश कुमार स0उ0नि0 थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने गफरुददीन उर्फ बबुआ पुत्र शकूर जाति मुसलमान उम्र 40 साल निवासी तहसील के पीछे जामा मस्जिद के पास गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को तहसील के पास जामा मस्जिद के पास से जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा पर्ची ,बॉलपेन मय एक मोवाईल के व 850 रूपयें नकद के साथ सट्टे की खाईवाली करते हुये गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 642/17 दर्ज किया गया।

## 07 वारंटी गिरफ्तार :-

पप्पु लाल स०उ०नि० थाना मानटाउन नें फरार गिरफ्तार वारण्टी श्री अनिल पुत्र श्री सुखलाल जाति बैरवा उम्र 42 साल निवासी चकचैनपुरा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान एसीजेएम सवाई माधोपुर के खिलाफ केस नं० 07/14 में गिरफ्तार वारण्ट जारी किया गया था।

इसी प्रकार रैवत सिंह हैड कानि० थाना मानटाउन नें फरार गिरफ्तार वारण्टी श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामकुमार जाति गुर्जर उम्र 45 सल निवासी फिरोजपुरा थाना रवांजना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान एसीजेएम सवाई माधोपुर के खिलाफ केस नं० 77/10 में गिरफ्तार वारण्ट जारी किया गया था।

इसी प्रकार रैवत सिंह हैड कानि० थाना मानटाउन नें फरार गिरफ्तार वारण्टी श्री अनवार अली पुत्र श्री बाबूदीन जाति मुसलमान उम्र 37 साल निवासी करमोदा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान एसीजेएम सवाई माधोपुर के खिलाफ केस नं० 326/16 में गिरफ्तार वारण्ट जारी किया गया था।

इसी प्रकार धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि० थाना रवांजना डूंगर नें फरार गिरफ्तार वारण्टी श्री जगदोशपुत्र भूरा जाति कार नि० पाचोलास थाना रवांजना डूंगर, श्री इन्द्रराज पुत्र ऊकार जाति कार निवासी पाचोलास थाना रवांजना डूंगर, श्री कजोड पुत्र बृजमोहन जाति कार नि० लक्ष्मीपुरा कारो का ढाणी थाना रवांजना डूंगर, श्री सीताराम ऊकार जाति कार निवासी पाचोलास थाना रवांजना डूंगर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान डी०जे० साहब सवाई माधोपुर के खिलाफ प्रकारण संख्या 84/90 धारा 302 आई०पी०सी० में गिरफ्तार वारण्ट जारी किया गया था।